संख्या-27/2019/296 ई-2/तेरह-2019-131/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0 प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 15 फरवरी, 2019

विषयः-मे0 डी0एस0सी0एल0 शुगर अजबापुर (आसवनी इकाई) खीरी को पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-116/दो-प्रा0डी0-30/डी0एस0सी0एल0 अजबापुर खीरी/ दिनांक 02 फरवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2019 द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 डी0एस0सी0एल0 शुगर अजबापुर (आसवनी इकाई) खीरी को 225 किलो लीटर प्रतिदिन (340 दिवस के आधार पर 765 लाख लीटर वार्षिक) क्षमता की आसवनी जिसके अन्तर्गत 225 किलो लीटर प्रतिदिन आर0एस0 तथा 200 कि0ली0 प्रतिदिन अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन हेतु प्लान्ट की स्थापना की अनुमति हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने तथा आसवनी की स्थापना के पश्चात् बाजार की मांग के अनुसार शोधित आसव, डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि इकाई द्वारा सी0पी0सी0बी0/यू0पी0पी0सी0बी0 के मानकों के अनुसार इकाई में शून्य उत्प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों(कान्सेंट्रशन एवं इंसीनरेशन) की स्थापना की जाएगी एवं अपनी दैनिक/वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत आर0एस0 या अब्सोल्यूट अल्कोहल(औद्योगिक अल्कोहल) का उत्पादन किया जाएगा तथा आसवनी स्थापना के संबंध में नियमानुसार वांछित समस्त शर्तों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित/विद्यमान समस्त विधियों/संगत शासनादेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in